क्रमांक 2211-4 जी0 एस0-II-71/13813

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़: 11 जून, 1971

विषय :- उत्कृष्ट कार्य करने पर सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्रांक 183-2 जी0 एस0-69/1625 दिनांक 22-1-1969 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और आपसे प्रार्थना करूं कि यद्यपि उपरोक्त अनुदेश उत्कृष्ट कार्य करने पर सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वृद्धियां के मुआमलों पर लागू होते हैं परन्तु कुछ ऐसे मुआमले देखने में आए हैं जिनमें विभागों ने अपने आप ही अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की है। विभागों ने ऐसा इस लिये किया क्योंकि दूसरे विभागों/निगमों में अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति के लिये संबंधित कर्मचारियों के आवेदन पत्र या तो लोक हित में रोक लिये गये या उनके चुनाव के पश्चात उन्हें नए पदों का कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें भारमुक्त नहीं किया गया।

इस मुआमले की अच्छी तरह से जांच की गई है। और यह आवश्यक समझा गया है कि अग्रिम वेतन वृद्धि देने के सभी श्रेणियों के मुआमलों में एक जैसी नीति अपनाई जानी चाहिए। यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार के सभी मुआमलों का वर्तमान समितियों द्वारा ही निपटान किया जाना चाहिए और इस प्रकार का कोई भी मुआमला उनके विचार क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिये। दूसरे शब्दों में श्रेणी -II तथा उससे निचले स्तर के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धि यां देने के मुआमले एक समिति जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

वित्त सचिव, संबंधित प्रशासकीय सचिव, विभागाध्यक्ष को हरियाणा सरकार के क्रमांक 183-2 जी0 एस0-69/1625 दिनांक 22-1-69 के अनुसार निर्धारित फार्म में भेजे जावें। इसी प्रकार श्रेणी -I के अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के मुआमले एक दूसरी समिति, जिसके (I) वरिष्ठतम वित्तायुक्त, (2) मुख्य सचिव, (3) वित्त सचिव, (4) संबंधित प्रशासकीय सचिव, सदस्य होंगे। संयुक्त पंजाब के पत्रांक 4752-I जी0 एस0 (I)-65/14567 दिनांक 7-5-1965 के अनुसार निर्धारित फार्म में भेजे जायें।

अत: प्रार्थना की जाती है कि इन अनुदेशों की ध्यान पूर्वक अनुपालना की जावे तथा इस पत्र की पावती भी भेजी जाए।

भवदीय,
उप सचिव, प्रशासनिक सुधार,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाती है :--

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।